न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 175/2023

1 सन्तोष आयु 43 वर्ष पुत्री स्व. जगदीश पत्नी हजारीलाल जाति जाट निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.) हाल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 सुलतान सिंह पुत्र स्व. मुरलीराम
2 गोपाल सिंह पुत्र स्व. मुरलीराम
3 बाबुलाल पुत्र स्व. मुरलीराम
4 राजेश पुत्र स्व. मुरलीराम
5 धर्मपाल (मोनी) पुत्र स्व. सरदारसिंह
6 अनिल पुत्र स्व. सरदार सिंह
7 जितेन्द्र पुत्र स्व. सरदार सिंह
8 सुनिता पुत्री स्व. सरदार सिंह
9 सुशीला पुत्री स्व. सरदार सिंह
10 ज्योति उर्फ मिन्टू पुत्री स्व. सरदार सिंह
11 कमला देवी पत्नी स्व. सरदार सिंह
समस्त जाति जाट निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)
12 सन्तोष चौहान पत्नी गणपत जाति बलाई निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)
13 राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र नामालुम जाति अहीर निवासी ढाणी डेरावाली तन मन्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 सुरेश कुमार यादव पुत्र नामालुम जाति अहीर निवासी ढाणी डेरावाली तन मन्ढूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

15 पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

16 उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

17 उप पंजीयक उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

18 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

19 सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

20 प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

रेस्पोडेंट

21 मीरा पुत्री स्व. जगदीश पत्नी अर्जुनलाल जाति जाट निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.) हाल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

परफोरमा रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2023
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर
जिला नीमकाथाना बसिलसिले दावा उनवानी सन्तोष
बनाम सुल्तान सिंह वगैराह दावा संख्या 41/2023
जी.सी.एम.एस नम्बर 91/2023 अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण कुमार झाझड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नरेन्द्र कुमार फगेड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर के यहां एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 976/2 तन ग्राम अजीतगढ़ जिसके नये खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110 व 2098 तन ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना है जिसमें अपीलान्ट के सगे भाईयों तथा चाचा रामूराम के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101, 2102, 2103 व 2098 आ गई थी शेष भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 2100 रकबा 0.24 हैक्टेयर अपीलान्ट व परफोरमा रेस्पोडेन्ट संख्या 21 के हिस्से में आई थी तथा शेष भूमि दीगर की है। उपरोक्त भूमिया 17 बीघा 8 बिश्वा है। जिसमें से अपीलान्ट व परफोरमा रेस्पोडेन्ट संख्या 21 के स्व. पिता जगदीश एवं चाचा रामूराम ने 17 बीघा 3 बिश्वा भूमि स्व. दुलाराम पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी अजीतगढ़ से दिनांक 14.05.1984 का जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी उसी अनुसार मौके

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101, 2102, 2103 व 2098 तक अपीलान्ट के सगे भाई व चाचा काबिज काश्तकार चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के वक्त राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 21 के भाईयों व चाचा की भूमि का रकबा बढ़ा दिया गया जबकि मौके पर 17 बीघा 3 बिश्वा ही भूमि मौजूद है खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टेयर के बजाए 4.52 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 2099 व 2101 की खातेदारी अपीलान्ट के सगे भाई व चाचा रामूराम की खातेदारी से हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के स्व पिता/पति के नाम दर्ज करदी गई तथा भमि खसरा नम्बर 2098 की किस्म सिवाय चक दर्ज करदी गई। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 21 के सगे भाई व चाचा भूमि खसरा नम्बर 2101, 2099, 2102 व 2103 पर काबिज काश्त चले आ रहे तथा कुछ हिस्से में रिहायश हेतु पक्के मकान बनाकर रह रहे है जिस पर रेस्पोडेन्टान का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 2100 पर रेस्पोडेन्टान जबरन अवैध कब्जा कर निर्माण करने पर व बेचान पर अमादा होने पर व अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में एक दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया उक्त दावा में रेस्पोडेन्टान की तामील हुये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुल्तान सिह ने विचारण न्यायालय में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 प्रस्तुत कियया व उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उल्लेख किया कि भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नये खसरा नम्बर 2102, 2103 व 2104 बने है खसरा नम्बर 976/2 से 2100, 2101, 2099, 2098 नही बने है व नवीन खसरा नम्बर 2100 पुरानी भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नही बना है बल्कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बना है तथा अपीलान्ट को खसरा नम्बर 2100 बाबत कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है ना ही हो सकता है इसलिये वाद कारण के अभाव में अपीलान्ट को दावा खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र की बहस सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पत्र स्वीकार करके अपीलान्ट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2023 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे की समस्त प्रतिवादीगण पर तामील हुये बिना व किसी भी प्रतिवादीगण का जवाब दावा आये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सर्वथा गलत व आधारहीन आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जो कतई चलने योग्य नहीं था। भूमि खसरा नम्बर 2100 गत खसरा नम्बर 976/2 से ही बना हुआ है जिसका इन्द्राज खसरा मिलान में अंकित है फिर भी योग्य विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि को भूमि को भूमि खसरा नम्बर 975 से बना हुआ मानकर व उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई वाद कारण पैदा न होना मानकर अपीलान्ट का दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है जबकि वाद के पैरा संख्या 8 में अपीलान्ट ने अपने दावे के वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कोई जवाब दावा प्रस्तुत कर खण्डन नहीं किया है। भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110 व 2098 बने है जिनकी पुष्टि उक्त खसरा नम्बर के मिलान क्षेत्रफल से बखुबी साबित होती है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादिनी अपीलांट द्वारा अपने दावे में प्रस्तुत खसरा नम्बर 2100 को गत खसरा नम्बर 975 से बना हुआ होने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में कतई गलत किया है खसरा नम्बर 975 के जो वर्तमान खसरा नम्बर बने है वे खसरा नम्बरान 1692 लगायत 1705 एवं 1716 है जिसकी पुष्टि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान के क्षेत्रफल से बखुबी साबित होती है फिर भी विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 2100 का गत खसरा नम्बर 975 होना मानने में कानूनी गलती की है व इसी को आधार बनाकर अपीलान्ट/वादीनी को कोई वादकारण न होना मानकर रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार करकें गलती की है। वादीनी ने अपने दावे में वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है व वादग्रस्त खसरा नम्बर 2100 को गत खसरा नम्बर 976/2 से बनना रिकार्ड से साबित है व उक्त खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 975 से बनना रिकार्ड से कतई साबित नही होते है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होती थी एवं उसकी और से उसके वकील ही पैरवी किया करते थे निर्णय व डिकी जेर अपील पारित होने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई अपीलान्ट दिनांक 13.12.2023 को अपने वकील से मिलने गई व अपने मुकदमें की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही तो वकील अपीलान्ट ने बताया कि आपका दावा दिनांक 29.09.2023 को खारिज कर दिया गया व मैंने इसकी सूचना आपको जरिये पत्र दी थी सम्भवतः पत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। अपीलान्ट को निर्णय व डिकी जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.2023 को हुई इसके पूर्व अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी नहीं हुई जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्ट के हितो की रक्षा के लिए व न्याय व सही निर्णय के लिए अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2023 पेज 21, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) आरजे पेज 501, डीएनजे 2018(2) राज. पेज 681, आरआरटी 2021(2) पेज 1480 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विकय किया गया था। जिसकी खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
टोंक

केतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच केतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टेयर 2103 रकबा 4.52 हैक्टेयर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी केतागण भैरूलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिश्वा का रकबा 4.28 हैक्टेयर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टेयर बना दिया गया। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौराने जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 गलत दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना पाया जाना प्रकट होता है। जो भू–प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाया जाकर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में जब भूमि खसरा नम्बर 2100 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा से नहीं बनकर पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना सहायक भू–प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 के अनुसार वादीगण के पूर्वज खातेदार भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 का विक्रय किये गये विक्रय लेख की खातेदारी का अंकन कराया गया है जो कि वादिया द्वारा अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर वाद प्रस्तुत किया है उनकी स्वीकारोक्ति है। जिनसे वादिया भी एस्टोप्ड है। इसलिए नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनना पाया जाता है। केवल मात्र मिलान क्षेत्रफल की त्रुटि के आधार पर वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः वादकारण के अभाव में वादिया का

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधि॰
सीकर

वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से वकील प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय किया गया था। जिसकी खातेदारी क्रेतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच क्रेतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टेयर 2103 रकबा 4.52 हैक्टेयर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी क्रेतागण भैरूलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिश्वा का रकबा 4.28 हैक्टेयर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टेयर बना दिया गया। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौराने जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 गलत दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना पाया जाना प्रकट होता है। जो भू–प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाया जाकर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति में जब भूमि खसरा नम्बर 2100 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा से नहीं बनकर पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना सहायक भू–प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 के अनुसार वादीगण के पूर्वज खातेदार भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 का विक्रय किये गये विक्रय लेख की खातेदारी का अंकन कराया गया है जो कि वादिया द्वारा अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर वाद प्रस्तुत किया है उनकी स्वीकारोक्ति है। जिनसे वादिया भी एस्टोप्ड है। इसलिए नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनना पाया जाता है। केवल मात्र मिलान क्षेत्रफल की त्रुटि के आधार पर वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः वादकारण के अभाव में वादिया का वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से वकील प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर